International Journal of Information Movement Vol.1 Issue VIII (December 2016
Website: www.ijim.in ISSN: 2456-0553 (online) Pages 151-154

# आधुनिक भारत में नारी शिक्षा की स्थिति और उन्नयन

**डॉ. राजेश कुमार**
प्रवक्ता
गीता आदर्श कॉलेज ऑफ एजूकेशन, लाडवा (कुरुक्षेत्र)

मानव सभ्यता के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा जीवन को समझने के लिए तार्किक दृष्टि प्रदान करने के साथ साथ अपने परिवेश के पति सजग भी करती है। शिक्षा के बिना मानव जीवन अंधकारमय होता है। शिक्षा किसी भी प्रकार के शोषण बंधन एवं गुलामी से मुक्ति का प्रवेश द्वार है। शिक्षा ही वह महान सम्पत्ति है, जो कि अनश्वर है। शिक्षा, शक्ति का वह •ेत है, जो मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, भौतिक, बौद्धिक एवं अध्यात्मिक शक्तियों व क्षमताओं का निरन्तर एवं सामंजस्यपूर्ण विकास करके मानवीय गुणों को विकसित करती हैं, मानव स्वरुप को उत्कृष्ट करती है।[1] इस तरह कहा जा सकता है, कि शिक्षा प्रत्येक स्त्री पुरुष की अनिवार्य आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति– उपलब्धता में, उनके प्रचार प्रसार में नारी की विशेष भूमिका होती है।

जहां तक शिक्षा का तात्पर्य है, तो ''शिक्षा'' शब्द 'शिक्ष्' धातु से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ ज्ञानाभिग्रहण अथवा सीखना व सिखाना है। इस प्रकार शिक्षा ड्डाब्द विद्या ग्रहण करने, सीखने सिखाने के भाव को व्यंजित करती है। भारतीय वाड़्मय में शिक्षा को ''विद्या'' के नाम से जाना जाता है। संस्कृत की विद् धातु सक विकसित 'विद्या' शब्द का अर्थ है– ज्ञान। वैदिक साहित्य में शिक्षा का अर्थ 'देना' लिखा गया है। वास्तव में शिक्ष शब्द उस प्रÿ या का बोधक था, जिसके द्वारा समाज के गुरु अथवा बड़े–बूढ़े एवं उदीयमान सदस्यों (शिष्यों) को ज्ञान प्रदान करते थे। इस प्रकार उस प्रक्रिया द्योतक थी, जिसके द्वारा बालक अपने वैयक्तिक व्यक्तित्व का विकास करके सांस्कृतिक विरासत से परिचित होता था, और इस विरासत के संरक्षण में अपना योगउान देता था।[2]

पाश्चात्य साहित्य जगत के भरतमुनि ''प्लेटो'' ने शिक्षा को मनुष्य के शरीर और आत्मा को पूर्णता प्रदान करने से सम्बन्धित कार्य मानते हुए उसे जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया माना है। अमेरिका के प्रसिद्ध दार्शनिक जॉन डी.वी. ने शिक्षा को व्यष्टि एवं समष्टि के रुप में स्वीकार किया है। और स्पष्ट किया कि शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है, जिसमें मनुष्य शैशवकाल से प्रौढ़ावस्था तक विकास करता है और जिसके द्वारा वह धीरे धीरे स्वयं को आवश्यकतानुसार अपनें प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। शिक्षा के सन्दर्भ में पाश्चात्य विद्धानों के दृष्टिकोण से स्पष्ट है, कि शिक्षा मानव जीवन के विकास से सम्बन्धित प्रक्रिया है, जो अनवरत गतिमान रहती है।[3] भारतीय दर्शन में जीवन की समग्र कल्पना की गयी हैं। इसीलिए भारतीय दर्शन में शिक्षा एक पवित्र वस्तु मानी गयी है, जिसके द्वारा मानव इस लौकिक एवं पारलौकिक हित का सम्पादन करता है। इस तरह आर्वाचीन भारतीय शिक्षा शास्त्रियों एवं मनीषियों ने शिक्षा के आध्यात्मिक पक्ष पर बल डाला है।

स्वामी विवेकानन्द द्वारा शिक्षा को मनुष्य की अर्न्तनिहित पूर्णता की अभिव्यक्ति मानते थे। जब कि श्री अरविन्द ने शिक्षा को मानव मस्तिष्क का अध्ययन माना है। और महात्मा गांधी का कथन है, कि शिक्षा उस प्रक्रिया का नाम है, जो बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वोकृष्ट रुपों को प्रस्फुटिक करती है। वैदिक काल से ही यह सार्वभौमिक सत्य प्रचलित हैकि नारी पृथ्वी पर नैतिकता, मानवता और सभ्यता के लिए अपरिमित श्रोत रही है। नारी को माता, स्त्री एवं पत्नी जैसे विविध रूपों में पूज्यनीय माना जाता रहा है। नारी की महिमा का गुणगान मनुस्मृति में इस प्रकार किया गया है–

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः।
यत्र नार्यस्तु न पूज्यन्ते, सर्वास्तत्रांपफलाः क्रियाः।।

अर्थात् जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवताओं का निवास होता है। जहां नारियों का सम्मान नहीं होता है, वहां पर समस्त क्रियाएं विफल हो जाती है। प्रसिद्ध साहित्यकार जयशंकर प्रसाद ने भी नारी की महिमा का गुणगान इस रूप में किया है–

नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग–पग–तल में।
पीयूष श्रोत सी बहा करो, जीवन के सुन्दर सममतल में।।

प्राचीन काल की अपेक्षा आज नारी की स्थिति में अत्यधिक सुधार और विकास हुआ है। वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में नारी की स्थिति एवं शिक्षा की दशा काफी खराब रही। सम्पूर्ण ब्रामण ग्रंन्थ नारी शिक्षा के विरोधी थे। नारी के लिए धार्मिक एवं संस्कारिक कार्यो की मनाही थी। समाज में पुत्री हत्या एवं बन्ध्यापन की प्रवृत्ति का विकास हो गया। विवाह की आयु कम करके शिक्षा में अवरोध उत्पन्न किया गया। अर्थात् उत्तर वैदिक काल में पुरूष प्रधान समाज का वर्चस्व था। परिणाम स्वरूप पुत्री को दुःख का प्रतीक माना जाता रहा। बौद्ध काल में पुनः नारी को अपना खोया हुआ गौरव प्राप्त हुआ। किन्तु यह गौरव मात्र कुलीन परिवारों तक ही सीमित रहा, जिसके परिणामस्वरुप समाज की बहुसंख्यक सामान्य बालिकाएं शिक्षा से बंचित ही रह गयी।[4] प्राचीन काल की विदुषी नारियों में जहां विश्वरा, अपाला, घोषा एवं इन्द्राणी आदि की ख्याति रही, वहीं बौद्ध काल में शील भट्टारिका, विजयांका, संघमित्रा एवं प्रभावती नारी सम्मान की आधार बनी।

मध्यकाल में नारी की स्थिति अत्यधिक दयनीय दशा में थी। मदरसों में लड़कियों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध, पर्दा प्रथा, बहुपत्नी विवाह एवं सरल तलाक व्यवस्था ने नारी को बद् से बद्तर बनाये रखा। फिर भी इस काल में नारियों के सम्मान में गुलबदन बेगम, नूरजहां, मुमताज, जहांआरा, रजिया सुल्तान एवं चांदबीबी ने चार–चांद लगाया। आधुनिक काल अथवा ब्रिटिश काल में नारी स्थिति में अत्यधिक सुधार हुआ। सन्– 1829 में राजाराम मोहनराय द्वारा सती प्रथा का अन्त, सन्–1856 में ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह का प्रारम्भ, सन्–1872 में केशवचन्द्र सेन द्वारा विशेष विवाह अधिनियम एवं सिविल मैरिज एक्ट द्वारा बाल विवाह पर रोक लगायी गयी। सन्–1929 में हरिविलास शारदा के प्रयास से पारित ''शारदा एक्ट'' द्वारा बाल विवाह प्रतिबन्धित किया गया। उक्त प्रयासों के परिणाम स्वरुप आज नारी शिक्षा का उत्रोत्तर विकास हो रहा है।

## 1.0 भारतीय समाज में नारी :

भारतीय संस्कृति व समाज में नारी–रुपा शक्ति के बिना शिव को भी 'शव' कहा जाता है। यही विचार भारतीय संस्कृति व समाज में पारी की गौरवपूर्ण स्थिति का द्योतक है। पुरातन काल में नारी स्वतंन्त्र थी, वैदिककालीन साहित्य के अध्ययन से ज्ञात होता है, कि तद्युगीन जीवन और समाज में नारी का स्वतंत्र अस्तित्व एवं व्यक्तित्व रहा हैं। जबकि मध्य युग में नारी बिल्कुल पंगु एवं असहाय सी हो गयी। उससे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार तक छीन लिया गया। किन्तु बीसवीं शताब्दी तक आते आते नारी की शिक्षा–दीक्षा, उसके मानवोचित अधिकारों की प्राप्ति के कारण पुरुष समाज के बंधनयुक्त मानसिकता से उसे मुक्ति मिल सकी।[5] वैसे इससे पूर्व उन्नीसवीं शताब्दी में राजा राममोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देने के लिए संघर्ष किया। महात्मा गांधी, गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर, एवं पंण्डित जवाहर लाल नेहरु जैसे महान नेताओं ने भी इस दिशा में सराहनीय किया है।

## 2.0 आधुनिक भारत में नारी :

यह नारी शिक्षा का ही परिणाम है,कि आजादी के बाद नारी को सामाजिक, राजनैतिक और संवैधानिक स्तरों पर अनेक अधिकार प्राप्त हुए है। भारतीय संबिधान में स्थानीय निकाय और नगरपालिकाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी 33 प्रतिशत सुरक्षित की गयी है। यूनिसेफ की एक रिर्पोट के अनुसार– इस सुरक्षित हिस्सेदारी के परिणाम स्वरुप महिलाओं के जीवन स्तर में उत्तरोत्तर विकास हुआ है। आज भी भारतीय संसद में महिलाओं के अधिकारों के लिए लाया गया ''महिला आरक्षण विधेयक'' लम्बित है। जिसे अबिलम्व पास कराना वर्तमान समय की मांग है। महिलाओं के संरक्षण के लिए बनाए गए विधानों एवं कानूनों में महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, महिला अभद्र चित्रण अधिनियम, आदि अधिनियम महिला संरक्षण के लिए बनाए गए है। किसी भी समाज व राष्टत्र के विकास में पुरूष एवं नारी दोनो की शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है।[6] नारी समाज की शक्ति तथा प्रेम, दया तथा त्याग की प्रतिमूर्ति होती है। इनके द्वारा परिवार का सृजन एवं निर्माण होता है। पुरूषों की अपेक्षा नारी शिक्षा अधिक आवश्यक है। क्योंकि नवजात शिशु की प्रथम पाठशाला की शिक्षिका उसकी मां होती है। इसलिए मां का शिक्षित होना समाज व परिवार के लिए नितान्त आवश्यक है। आधुनिक भारत में नारी शिक्षा को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है, क्योंकि जिस देश में नारी का सम्मान नहीं होगा, वह देश कभी भी प्रगति पहीं कर सकता है।

आधुनिक काल में शिक्षा के द्वारा नारी को सशक्त, स्वावलम्बी व आत्मविश्वासी बनाकर ही नारी की स्थिति को सुधारा जा सकता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने तो नारी निरक्षरता को मानव जीवन के लिए कलंक बताते हुए नारी शिक्षा की जोरदार वकालत की थी। स्वतंन्त्रता के पश्चात् महिलाओं को पुरुषां के समान स्तर पर लाने के लिए आवश्यक सामाजिक, आर्थिक एवं कानूनी परिवर्तन किये गये। जिससे महिलाओं के शैक्षिक विकास के मार्ग में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। संविधान के अनुच्छेद 15.1, 16.1 एवं 16.2 में स्पष्ट लिखा गया है,कि किसी भी

नागरिक से लिंग के आधार पर भेद भाव नहीं किया जायेगा। परिणामतः महिलाओं की शैक्षिक स्थिति में क्रान्तिकारी होने लगे है। नारी शिक्षा के उत्थान के लिए सरकार विभिन्न आयोगों के गठन के द्धारा सकारात्मक प्रयास किए जा रहे है।

स्पष्ट है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् समाज सुधारकों, विभिन्न सरकारी योजनाओं, सवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के माध्यम से समाज में महिलाओं की सामाजिक एवं शैक्षिक स्थिति मजबूत हुई है। भारतीय संविधान, प्रौद्यौगिकी, महिला शिक्षा, सामाजिक विधान, औद्यौगिक एवं शहरीकरण, पारिवारिक अधिकारों में वृद्धि तथा आर्थिक निर्भरता द्धारा महिलाओं की शैक्षिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है।[7] लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत एवं शैक्षिक गुणवत्ता भी लड़कों की अपेक्षा कहीं अधिक पायी जा रही हैं। आज महिलाएं राजनितिज्ञ, राजनयिक, प्रशासक, कवि, न्यायाधीश, चिकित्सक तथा शिक्षिका आदि के रुप में समाज को अपना योगदान दे रही है। राजनैतिक क्षेत्र में सोनिया गांधी, मीराकुमार, मायावती, जयललिता, ममता बनर्जी, सुषमा स्वराज आदि का नाम उल्लेखनीय रहा है। इसके अतिरिक्त किरण बेदी, नैनालाल किदवई, प्रतिभा सिंह पाटिल, चन्दा कोचर, इन्दिरानूई आदि महिलाएं, महिला शैक्षिक विकास की अद्धितीय उदाहरण रही है। स्वतंन्त्र भारत में महिलाओं के शैक्षिक विकास हेतु अनेक सराहनीय प्रयास किये जा रहे हैं। जिससे महिला शिक्षा के स्वरुप में निरन्तर परिमार्जन हो रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् महिलाओं के शैक्षिक उन्नयन के लिए केन्द्र सरकार द्धारा समय–समय पर अनेक आयोगों एवं समितियों का गठन करने के साथ ही साथ अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियों के वितरण की व्यवस्था के साथ ही गृह प्रबन्ध की शिक्षा हेतु प्रोत्साहित प्रयास भी किये गये। जैसे डॉ. राधाकृष्णन आयोग–1948–49, मुदालियर आयोग–1952–53, राष्ट्रीय महिला शिक्षासमिति–1958–59, राष्ट्रीय महिला शिक्षापरिषद–1959–60, हंस मेहता समिति– 1962–63, भक्तवत्सलम समिति–1963, कोठारी आयोग– 1964–66, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1968, फुलरेनुगुहा समिति– 1974, राष्ट्रीय शिक्षानीति–1986, महिला समाख्या कार्यक्रम–1968, प्रोफेसर राममूर्ति समिति– 1991, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–1994, मध्यान्ह भोजन योजना–1995, स्कूल चलो अभियान– 1996, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना– 1997, सर्वशिक्षा अभियान–2001, त्वरित महिला साक्षारता कार्यक्रम– 2001, मौलाना आजाद राष्टन्रीय छात्रवृत्ति योजना– 2003, राष्टन्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम–2004, इन्दिरा गांधी इकलौती बालिका छात्र वृत्ति योजना–2005, एकल बालिका निःशुल्क शिक्षा योजना– 2005, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन राशि योजना– 2006, साक्षर भारत योजना–8 सितम्बर 2009, शिक्षा का अधिकार कानून– 01 अप्रैल 2010, आदि के द्धारा समूचे भारत की बालिका शिक्षा को प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जा रहा है।

इसके साथ ही बालिका निरौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को केन्द्र सरकार द्धारा 91 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। केन्द्रीय विद्यालयों एवं नवोदय विद्यालयो में बालिकाओं की शिक्षा के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण के साथ ही निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ एवं पालिटेक्निक महाविद्यालय खोले गयें है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्धारा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में महिला अध्ययन केन्द्र खोलने के लिए अनुदान की व्यवस्था किया गया है। केन्द्र सरकार द्धारा माध्यमिक एवं उच्चतर प्राथमिक स्तर की छात्राओं के लिए 1925 छात्रावासों के निर्माण की अनुमति भी प्रदान कर दी है। स्वतंन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् महिला शिक्षा के विकास के लिए अनेक प्रयासों के परिणाम स्वरुप महिला साक्षारता 8.86 प्रतिशत से बढ़कर 68.00 प्रतिशत तक पहुंच गया है। इस प्रकार की वृद्धि भविष्य में शत्प्रतिशत साक्षारता के विकास को आधार प्रदान करती है।

जनसंख्या रिर्पोट 20011 के अनुसार स्पष्ट हो चुका है, कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा को अपनी पहली प्राथमिकता मानता है।[8] सरकारी योजनाओं एवं जनता में आयी जागरुकता की वजह से महिलाओं का शैक्षिक स्तर निश्चित रुप से उत्तरोत्तर बढ़ा है। तेजी से साक्षर बनने के मामले में महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है। यद्यपि सकल साक्षारता में पुरुषों का साक्षारता प्रतिशत महिलाओं से अधिक है। 2001 से 2011 के दौरान पुरुषों में साक्षारता दर 6.88 प्रतिशत वृद्धि हुई है। जबकि महिलाओं का यह प्रतिशत 11.30 रहा है। अर्थात् महिलाओं का साक्षारता प्रतिशत प्रति दशाब्दि वर्ष में श्रेष्ठ रहा है।

## 3.0 शिक्षित नारी और समाज – वर्तमान परिदृश्य :

अनेक समन्वित प्रयासों एवं अधिकारों के परिणाम स्वरुप आज महिलाएं जीवन जगत के प्रत्येक मोड़ पर प्रत्येक क्षेत्र में शिखर पर पहुंच रही है। यह शिक्षा के विकास का ही परिणाम है, कि महिलाओं के व्यक्तित्व का न केवल विकास हुआ है। बल्कि समाज में उनका जीवन स्तर भी उत्तरोत्तर विकास की तरफ बढ़ रहा है। सामाजिक विकास के क्षेत्र में महिलाएं अहम् भूमिका का निर्वाह कर रही है। शिक्षा के प्रचार प्रसार में महिलाओं की सक्रिय

भूमिका रही है, जिसके द्वारा वे समाज को एक नई शक्ति प्रदान कर रही है। आज कल इस चेतना में भी विकास हुआ है, महिलाओं द्वारा किये गये कार्यों का प्रभाव न सिर्फ परिवार पर बल्कि राष्ट्र की खुशहाली पर भी पड़ता है।[9]

अंत में यही कहा जा सकता है, कि मानव प्रगति और विकास के अनेक क्षितिजों को सामने लाने और चहुंमुखी विकास का द्वार खोलने का मार्ग महिलाओं द्वारा ही प्रशस्त किया गया है। यह प्रगति विकास नारी की उपस्थिति के बिना अधूरी है, क्यों कि 'व्यक्ति' नाम की अवधारणा पुरुष के साथ साथ नारी से भी सम्बद्ध है। नारी ही व्यक्ति की अवधारणा को पूर्णत्व प्रदान करती है। आधुनिक युग की चेतना ने नारी की अस्मिता और व्यक्तित्व को स्पष्ट आयाम प्रदान किया है।

## 4.0 सन्दर्भ :

1. लाल रमन बिहारी, भारतीय शिक्षा का विकास एवं समस्याएं, ए. पब्लिसिंग हाउस प्रा.लि. परेड, कानपुर, 2001, पृ. 368–395.
2. सारस्वत रितु, महिला अधिकारिता एक विश्लेषण, योजना, अक्टूबर–2006, पृ. 42–48.
3. राघव विजय सिंह, भारत में महिला शिक्षा की स्थिति, कुरुक्षेत्र, सितम्बर, 2006, पृ. 25–29.
4. मोदी अनीता, महिला शिक्षा : ग्रामीण विकास की आधारशला, कुरुक्षेत्र, सितम्बर 2012, पृ. 12–15.
5. कुमार अशोक, ग्रामीण भारत में लड़कियों की शैक्षिकस्थति : एक विश्लेषण कुरुक्षेत्र, नवम्बर, 2006, पृ. 25–29.
6. त्रिपाठी गोपाल कृष्ण, महिला सामाख्या वैदिक युग से अब तक, प्रतियोगिता दर्पण, फरवरी 2013, पृ. 1072–74.
7. राजकुमार, पुरुष प्रधान देश में नारी की दुर्गति, प्रतियोगिता दर्पण, मई–2013 पृ. 1719–1721.
8. कल्याण प्रतिभा, समाज में महिलाओं का स्थान, प्रतियोगिता दर्पण, जून–2012, पृ. 2129–2130.
9. जगदीश्वर चतुर्वेदी, की साहित्य इतिहास की समस्याएं, की अस्मिता, पृ. 144.